8

पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें – आसपास

कविता शर्मा*

समाज में महिलाओं की स्थिति का कई शोध अध्ययनों एवं मीडिया आदि के माध्यम से समय-समय पर अंदाज़ा लगता रहता है परंतु पहली बार महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्रीय स्तर पर गठित समिति (1975) का सही मायनों में एक असर दिखाई दिया जब पाठ्यचर्या में महिला अध्ययन (women studies) को भी एक विशेष दर्जा दिया गया। उसके पूर्व अकादमिक संस्थाओं में भी लोग महिलाओं के विकास या विकास में उनकी भागीदारी के प्रति इतने जागरूक नहीं थे क्योंकि शायद ऐसा माना जाता था कि महिलाओं की समस्याओं, उनके समाधान या विकास में उनकी भूमिका की ओर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

समाज में बढ़ती हुई विभिन्न समस्याओं और घटते हुए मूल्यों के प्रति अगर गौर किया जाए तो हम यह सोचने पर मज़बूर हो जाते हैं कि आखिर इनका मूल कारण क्या हो सकता है? जबकि हमारा संविधान जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर सभी को एक समान देखने को प्रतिबद्ध करता है और इसके लिए विभिन्न अधिनियम एवं कानून भी समय-समय पर जारी किए जाते हैं परंतु अपने रोज़मर्रा के जीवन में ही इन्हें भंग करने के कई उदाहरण हमें अपने आस-पास और आए दिन अपने निजी जीवन में ही देखने को मिल जाते हैं। यद्यपि हम सभी यह भी जानते हैं कि किसी भी आधार पर किया गया भेदभाव समाज के उस वर्ग को पिछड़ेपन की ओर ले जाता है और यह किसी भी व्यक्ति, समाज या देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा रोधक होता है। भेदभाव करने में जाने-अनजाने में हमारी रूढ़िवादी मानसिकता ही इसका प्रबल कारण है। किसी व्यक्ति विशेष के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश की मानसिकता को दूर करने में शिक्षा, खासतौर पर, स्कूली शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए शैक्षिक व्यवस्था में भी पिछले कई दशकों से प्रयत्न जारी हैं जिससे स्कूलों में लड़के और लड़कियों की अनुपात संख्या तो सही हुई है परंतु प्राथमिक स्तर की शिक्षा के दौरान ही उनके बीच में ही शाला त्याग का प्रतिशत भी बहुत बढ़ा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम किए जा रहे प्रयासों पर एक बार फिर से विचार करें, ताकि उनमें होने वाली कमियों को समय रहते दूर किया जा सके।

हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने महिला शिक्षण पर ज़ोर देते हुए कहा है कि 'महिलाओं के स्तर में मूल बदलाव शिक्षा को समाज में प्रचलित अवधारणाओं को दूर करने तथा महिलाओं के पक्ष में एक सुनियोजित व्यवस्था के निर्माण में एक संस्था की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। महिला सशक्तीकरण में राष्ट्रीय शैक्षिक व्यवस्था एक सकारात्मक भूमिका का रोल अदा करेगी।' इनके अलावा भारत अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर भी कई संधियाँ जैसे डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, 2000, यू.एन. मिलिनेयिम डेवलपमेंट गोल्स, 2000, प्रोग्राम और एक्शन, 1992, द बेइजिंग, दिसंबर, 1995 सर्व शिक्षा के लिए विश्व संगोष्ठी का साझेदार रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी बालिका शिक्षा पर कई योजनाएँ शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005, लैंगिक असमानताओं से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए ऐसी शैक्षिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने की बात करती है जिनमें सभी बालक/बालिकाएँ सीखने-सिखाने की क्रियाओं को आनंद लेते हुए अपनी सांस्कृतिक व सामाजिक विविधताओं को अपनी ताकत बनाते हुए अपनी ऐसी सभी कमियों को दूर करें जो उन्हें किसी भी तरह की अधीनता को स्वीकृत करने की ओर ले जाती है।

क्या हैं लैंगिक मुद्दे- लैंगिक मुद्दों में अक्सर स्त्री और पुरुषों की भूमिका को उनकी शारीरिक/मानसिक क्षमताओं में अंतर से जोड़ना और इसे स्वाभाविक रूप में ऐसा होना समझा जाता है। इससे समाज में स्त्री और पुरुषों के असमान स्तर को उचित करार कर दिया जाता है। जबकि लिंग संबंधी मत एक सोच की उत्पत्ति है जिसमें एक लिंग दूसरे पर इस मानसिकता के कारण हावी होता है। यह स्वाभाविक न समझकर एक चिंतन का विषय होना चाहिए क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों में पुरुषत्व और स्त्रीत्व की परिभाषाएँ भी अलग-अलग होती हैं। लैंगिक मुद्दे केवल महिलाओं अथवा बालिकाओं के दमन या भेदभाव तक ही सीमित न होकर उन परंपरागत रूढ़िवादी विचारधाराओं से भी संबंधित हैं, जिनमें पुरुषों/लड़कों को भी एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है जैसे- भावुकता, सहजता को पुरुषों की कमज़ोरी और उग्रता एवं बहादुरी को पुरूषत्व का नाम देना आदि।

ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इस सब की शुरुआत हमारे समाज, जिसमें सर्वप्रथम बच्चे का परिवेश अर्थात् घर-परिवार, आस-पड़ोस एवं स्कूल शामिल हैं, से ही होती है। तो अगर इन सभी मुद्दों के प्रति छोटी उम्र से ही बच्चों को सचेत किया जाए तो वे न केवल अपने घर

अपितु समाज में भी इस संदेश को पहुँचाने में सक्षम हो सकते हैं। बड़े होकर वे एक ज़िम्मेदार एवं सजग भावी नागरिक होने के साथ-साथ सामाजिक बदलाव के एक अच्छे कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। आज के संदर्भ में यह और भी ज़रूरी है क्योंकि अन्य कई प्रयासों के बावजूद महिलाओं, किशोरियों, छोटी बच्चियों की विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत ही दयनीय पाई गई है। यहाँ तक कि कन्या भ्रूण अवस्था में भी सुरक्षित नहीं हैं जिसके किस्से अकसर ही देखने-सुनने को मिल जाते हैं, फिर चाहे वह गाँव-कस्बा हो या महानगर।

शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 ने भी संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लिंग असमानता जैसे मुद्दों को संबोधित करने पर विशेष बल दिया है। हाल ही में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 भी 6 से 14 साल तक के हर बच्चे के लिए ऐसी अनिवार्य शिक्षा की माँग करता है, जिससे न केवल उसका शारीरिक परंतु संपूर्ण मानसिक विकास भी हो। नेशनल फ़ोकस ग्रुप के पोज़ीशन पेपर 'जेंडर इश्यूज़ इन एजुकेशन' के अनुसार बच्चों में विभिन्न क्षमताओं खासतौर पर समालोचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता आदि का विकास करने पर ज़ोर दिया गया है, जिससे उनका आत्मसम्मान और आत्मबोध की भावनाएँ जागृत हों। ऐसा भी कहा गया है कि बालिकाओं का सशक्तीकरण एक उत्पाद न होकर एक प्रक्रिया है जिसमें वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर एक स्वतंत्र मानव के रूप में अपना जीवन जी सकें।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक कोर विषय है जिसके मुख्य उद्देश्य न केवल पर्यावरण (जिसमें प्राकृतिक, सामाजिक, भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण शामिल हैं) संबंधी जानकारी तथा समझ बनाना है, बल्कि इससे जुड़े मुद्दे एवं सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता तथा इन्हें संबोधित करने के लिए उपयुक्त कौशलों से युक्त करने की क्षमता का विकास करना भी है। इनमें न्याय तथा समानता, मानव गरिमा, लिंगभेद और मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता कुछ प्रमुख सरोकर हैं, जिन्हें संबोधित करे बिना पर्यावरण अध्ययन का सीखना-सिखाना अधूरा है। इन सरोकारों को दृढ़तापूर्वक संबोधित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और अन्य पाठ्यसामग्री की विशेष भूमिका है जिसे एक ज़िम्मेदार शिक्षिका यदि अर्थपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करे तो बहुत हद तक हम बचपन से ही बच्चों को सचेत एवं संवेदनशील कर सकेंगे।

प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और लिंग भेद का संबोधन

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित कक्षा तीन से पाँच तक के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में विभिन सरोकार, जिनमें थीम आधारित एकीकृत पद्धति को अपनाते हुए भोजन, परिवार एवं

दोस्त, आवास, यात्रा, पानी आदि का चयन किया गया है, जो कि बच्चों के परिवेश से जुड़े हैं। इनसे संबंधित बच्चों के कुछ अपने अनुभव होते हैं, जिन्हें कक्षा में स्थान देने की बात जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में कथित पाँच मार्गदर्शक सिद्धांत में से एक है, कही गई है। अकसर कक्षा में हम पाठ्यपुस्तक या शिक्षिका को ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत मानते हैं परंतु बच्चों के निजी अनुभव को कक्षा के पठन-पाठन से जोड़ने पर वे अपने असल जीवन में उनका महत्त्व समझ पाएँगे।

इस पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकें तथा उनमें दी विषय सामग्री भी बाल केंद्रित तरीकों को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। इसे बच्चों का संज्ञान स्तर, उनकी रुचि के अनुसार पाठों में विभिन्न तरीके जैसे - किस्से -कहानियाँ, संवाद, कविताएँ, पहेलियाँ, हास्य खंड, नाटक एवं अन्य कई क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया है। ये पाठ बच्चों में विभिन्न सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों पर संवेदनशीलता विकसित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें दिए पात्रों से बच्चे स्वयं को आसानी से जोड़ सकते हैं।

आमतौर पर समाज में लड़की पैदा होने पर एक शोक की स्थिति और लड़के के जन्म पर बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में ऐसे कई अवसर दिए गए हैं जहाँ लड़की के जन्म पर खुश होने की बात लिखी है। इसमें कक्षा तीन की पाठ्यपुस्तक में पाठ सात 'बिन बोले बात' में पेज 47 पर बच्चों से जूली का खुशी भरा चेहरा बनाने की बात है क्योंकि उसकी बहन पैदा हुई है। कक्षा चार में पाठ नौ के अंतर्गत बदलते परिवार में चित्रों द्वारा निम्मी के परिवार में खुशी दर्शायी गई, जहाँ उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ है। इन चित्रों में दिये गए सवाल भी कुछ इस तरह हैं जैसे-छोटी बहन के जन्म से पहले परिवार में कौन-कौन था? छोटी बहन आने के बाद निम्मी अपना दिन कैसे बितायेगी? माँ अब क्या नए काम करेगी? पिताजी, दादी, चाचा के दिनभर के काम में नई बहन के आने से क्या बदलाव आएँगे? आदि जो बच्चों को न केवल विभिन्न कारणों पर परिवारों तथा घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव के बारे में सोचने के अवसर देंगे, बल्कि उनसे जुड़े मुद्दों पर कक्षा में बातचीत करने पर प्रेरित भी करेंगे। शिक्षक नोट में यह लिखा है कि प्रत्येक बच्चे को अपने अनुभव बताने का मौका दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप कक्षा में बच्चों से बातचीत करेंगे। जिससे न केवल बच्चों की सोच बल्कि बिना कोई सीधा सवाल पूछे सामान्य रूप में आपको बच्चों के परिवारों की स्थिति का भी अंदाजा भी लगेगा। मान लीजिए इसी में अगर किसी/कुछ बच्चे/बच्चों के उत्तर कुछ ऐसे थे, जैसे-पिताजी, चाचा के कामों में कोई अंतर नहीं आया या फिर निम्मी का परिवार बहन के जन्म पर खुश क्यों हैं? जबकि मेरे घर में तो मेरी बहन के जन्म पर सभी दु:खी थे तो ऐसे में इस सवाल पर दूसरे बच्चों को भी साथ लेते हुए आप चर्चा को आगे बढ़ा सकती हैं, कि क्या ऐसा करना ठीक है तो क्यों या क्यों नहीं?

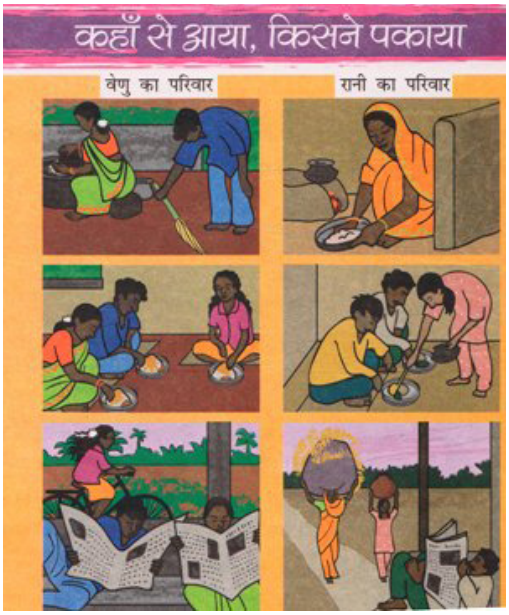

आमतौर पर जब भी बच्चों को अपने घर-परिवार या विभिन्न रिश्तों आदि के बारे में बताया जाता है तो पाठ्यपुस्तकों में ऐसे परिवार का चित्र दर्शाया जाता है जिसमें पति-पत्नी और उनके दो बच्चे जिसमें एक लड़का व एक लड़की की तस्वीर होती है। कक्षा में सभी बच्चे जिनके परिवार में या तो संयुक्त परिवार है, एकल अभिभावक के बच्चे, बिना माँ-बाप के बच्चे या ऐसे कई और उदाहरण हो सकते हैं, इस तरह के परिवार से अपना साम्य स्थापित नहीं कर पाते और किसी न किसी हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। परंतु तीसरी कक्षा की पाठ्यपुस्तक में 'तरह-तरह के परिवार' में परिवारों में विविधताओं को दर्शाते हुए छोटे-छोटे किस्से दिए गए हैं जो कि बच्चों को अपने या अपने मित्रों के परिवारों में होने वाली विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील कर सकेंगे। जैसे-तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नानाजी करते हैं। कक्षा में टीचर इस परिवार पर कई तरह के सवाल बनाकर चर्चा भी कर सकती है। जैसे नानाजी तारा की देखभाल कैसे करते होंगे? वे तीनों मिलकर क्या-क्या काम करते होंगे? घर में कौन-सा काम किसको करना चाहिए और क्यों आदि। इनके अलावा सीतम्मा का संयुक्त परिवार, पति-पत्नी, सारा और हबीब का अपने अब्बू के साथ रहना, तोताराम का अपने पिताजी, चाचा व चचेरे भाइयों के साथ मुंबई में रहना आदि ऐसे कई परिवार है जिनमें से कुछ बच्चे अपने आप को उनके जैसा पाएँगे या अपने अनुभवों को भी कक्षा में बताने की हिम्मत जुटा पाएँगें। इन्हीं पाठों में कुछ ऐसी बातें व सवाल हैं जोकि बच्चों को घर-परिवारों में पुरुषों तथा स्त्रियों के परंपरागत कामों से हटकर सोचने पर भी मज़बूर करेंगे। जैसे तोताराम के घर में सारा काम सभी मिलकर करते हैं। उसके चाचा के हाथ का खाना सभी को पसंद है। कृष्णा अपनी बहन कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है और वापिस आकर उसके लिए खाना गर्म करता है। स्कूल का काम खत्म करने पर कावेरी बाहर खेलने जाती है, लौटकर भाई के साथ कैरम खेलती है, कभी टेलीविज़न देखती है। पिताजी जब आ जाते हैं तो तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं।

इसके साथ तीसरी कक्षा का ही पाठ 14 'कहाँ से आया, किसने पकाया' में केवल चित्र पठन द्वारा ही घरेलू स्तर पर लैंगिक असमानता के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने का प्रयत्न किया गया है। बिना कोई शब्दों या वाक्यों को पढ़े यदि कुछ समय के लिए इस चित्र को बच्चे ध्यानपूर्वक देखें और फिर दिये गए प्रश्नों पर उनसे चर्चा की जाए तो बच्चे घरों के रोज़मर्रा के कार्यों में प्रत्येक सदस्य की भूमिका पर समालोचनात्मक चिंतन करते हुए धीर-धीरे अपनी एक समझ बना पाएँगे। चित्र में रानी का परिवार एक पुरुष प्रधान मानसिकता से ग्रस्त दिखाई देता है। परंतु वेणु का परिवार इसके विपरीत अर्थात् लैंगिक समानता को दर्शा रहा है।

आदर्श लड़कियों/महिलाओं को लेकर हमारे समाज में एक अलग ही छवि बना दी जाती है और उसके लिए तरह-तरह के नियम/कानून केवल उन्हीं के लिए बना दिए जाते है। उदाहरण के तौर पर लड़कियों/महिलाओं का एक निश्चित समय के बाद बाहर अकेले न जाना, किसी खास तरह के कपड़े ही पहनना आदि। इन्हीं बंदिशों पर सवाल उठाते हुए पाठ 22 'दुनिया मेरे घर में' (कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक) में पृष्ठ 180 पर 'अलग क्यों में' प्रतिभा को अपने भाइयों के शाम सात बजे बाहर खेलने पर घरवालों का ऐतराज न करना और स्वयं का घर पहुँचना ज़रूरी करना बिलकुल ठीक नहीं लगता। इसी तरह के अनुभव कुछ बच्चों के भी होंगे जिन्हें आप कक्षा में उन्हें बताने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इसके बाद कुछ प्रश्नों जैसे क्या लड़का-लड़की और आदमी-औरत के लिए अलग-अलग नियम होने चाहिए तो क्यों? बच्चे इस सवाल को घर के बड़े/बुजुर्गों आदि तक भी ले जा सकते हैं। कक्षा में अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के लिए बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हों तो क्या होगा, एक मज़ेदार तरीके से चर्चा की जाए तो यह बच्चों को इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील कर सकेगी।

अभी तक की गई चर्चा से यह बात साफ है कि जिसे जाने-अनजाने हम भी समाज/संस्कृति का हवाला देते हुए बच्चों पर थोप देते हैं। इस मानसिकता से भेदभाव तो स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है परंतु हमारी मानसिक सोच एवं प्रवृत्ति कई ऐसी कुरीतियों यहाँ तक कि अपराध को भी बढ़ावा देती है। लड़कियों/महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया रखनेवाले व्यक्ति कई बार उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते हैं। इसका सबसे बुरा असर छोटी बच्चियों पर पड़ता है। यौन उत्पीड़न के मामले आए दिन टी.वी. या अखबारों में हमें मिलते ही रहते हैं। हर माँ-बाप इनसे डरते हुए कई बार बच्चियों को स्कूल भेजने से भी कतराते हैं। शिक्षिका होने के नाते ऐसे में आपकी भूमिका माता-पिता से कम नहीं है।

पाठ्यपुस्तकों में बच्चों को अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श के बारे में (पाठ 22, कक्षा 4, पृष्ट 18) अवगत कराया गया है। शिक्षक नोट में टीचर को एक कांउसलर के रूप में भी लिया गया है। चर्चा के प्रश्न भी बहुत सटीक

हैं जैसे-क्या तुम्हें कभी किसी का छूना बुरा लगा है? अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते? मीना का मामा रितु का हाथ पकड़ते थे उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मीना का हाथ पकड़ना उसे अच्छा लगता था। सोच कर बताओ, ऐसा क्यों? आदि पर बातचीत करने से आप बच्चों की सुरक्षा में भी एक सकारात्मक भूमिका निभा पाएँगी।

बचपन से ही हम ऐसा करने के लिए मज़बूर करते हैं। यहाँ तक कि उनके खेल खेलने पर भी हम ऐसी बंदिशें लगाते हैं कि घर से बाहर जाकर खेलने वाले खेल केवल लड़के ही खेल सकते हैं और उनमें से भी कुछ खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती आदि पर तो हम उनका जन्मसिद्ध अधिकार ही मानते हैं। जब कभी कोई महिला हमें इनमें रुचि लेती भी दिखाई देती है तो यह कहकर उसपर कशीदे भी कसते हैं कि महिला है तो महिला बनकर क्यों नहीं रहती पुरुषों की बराबरी करने निकली हैं महिलाएँ ऐसे सख्त खेल खेलती अच्छी नहीं लगतीं आदि। पाठ 10 'हू-तू-तू' (कक्षा 4) में इसी प्रकार की मानसिकता को तोड़ने का प्रयास किया गया है जो बच्चियों के कबड्डी खेलने पर है। चर्चा करने के लिए प्रश्न भी बच्चों को इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। पाठ में तीन बहनों ज्वाला, लीला और हीरा की सच्ची कहानी भी है जो कि बचपन से ही कबड्डी खेलती हुईं बड़ी हुईं और आज बच्चों को कबड्डी सिखाती हैं। उनके निजी अनुभव भी बताए गये हैं जिनसे उन्हें यह खेल खेलने से रोका जाता था। ऐसी आम व्यक्तियों से संबधित किस्से-कहानियाँ बच्चों को संघर्ष करके समाज में अपनी एक पहचान और जगह बनाने की भी प्रेरणा देते हैं।

ऐसी ही एक सच्ची कहानी 'अनीता की मधुमक्खियाँ' भी चौथी कक्षा की पाठ्यपुस्तक में शामिल की गई है। इसमें अनीता के परिवार का उसके पढ़ाई के खिलाफ़ होने पर भी उसका संघर्ष, अपने पढ़ने के अधिकार के प्रति सजगता, लगन एवं सूझबूझ का परिचय देता है। जिनमें माँ-बाप के मना करने पर भी अपनी टीचर द्वारा उन्हें मनाना, पाँचवी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने में होने वाले खर्च की ज़िम्मेदारी छोटे बच्चों को पढ़ाकर खुद उठाना शामिल है। इनके अलावा लड़कियों की शिक्षा के लिए गाँव वालों को समझाने का कार्य भी अनीता करती है। इस संदर्भ में कक्षा में यदि बच्चों के अधिकारों के प्रति चर्चा, वाद-विवाद या ऐसे कई मौके दिए जा सकते हैं जिनसे स्कूल आने वाले बच्चे अपने घरों व आस-पास के बड़ों को उन मुद्दों के प्रति जागृत करने में अनीता की तरह अपनी भूमिका अदा कर सकेंगे।

यही पाठ महिला सशक्तीकरण और लैंगिक मुद्दों के अन्य पहलू भी उजागर करता है जिनमें महिलाओं की खासतौर से, आर्थिक मामलों में उनकी भूमिका तथा उनकी कर्मठता की ओर भी ध्यान दिलाता है। इसमें अनीता का मधुमक्खी पालन का एक लघु उद्योग शुरू करने के बारे में योजना बनाना, उसकी तैयारी एवं स्वतंत्र रूप से उसे चलाने तक की सच्ची कहानी है। आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ वह

उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज भी जाती है। गाँव की हर सभा एवं बैठकों में भी उसकी भागीदारी होती है। इस तरह के उदाहरणों की कक्षा में चर्चा करते हुए बच्चों से उनके घरों या आस-पास भी महिलाओं द्वारा ऐसे कई कदम उठाने के बारे में पता करने को कहा जा सकता है। उनके द्वारा बताए गए अनुभवों पर बच्चों को अपनी राय देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यदि संभव हो सके ऐसे व्यक्तियों को स्कूल में बुलाकर या बच्चों को उनके पास ले जाकर बातचीत के अवसर भी दें। पाँचवी कक्षा की पाठ्यपुस्तक पर भी नज़र डालें तो ऐसी कई घटनाएँ, किस्से जिनमें महिलाओं की बहादुरी, हिम्मत, सूझबूझ की मिसालें मिलेंगी जो कि न केवल बच्चों के लिए आनंददायक, लैंगिक भेदभाव से जुड़ी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता उजागर करने में बच्चों की मदद करेंगी बल्कि उनमें एक उत्साह, उमंग और कुछ दिखाने का जज़्बा भी पैदा करेंगीं। इनमें माउन्टेनियरिंग करने वाली एक शिक्षिका, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स आदि से जुड़े बहुत ही मज़ेदार किस्से हैं।

प्राकृतिक पर्यावरण से प्यार व उसकी देखभाल से जुड़ी महिलाओं की पुरानी (अमृता की कहानी) व नई (पाठ-20, किसके जंगल) जैसी कथाएँ गाँव में रहने वाली महिलाओं की समझदारी, संवेदनशीलता के मूल्यों को भी दर्शाती हैं। 300 साल पुराने पेड़ों के लिए अमृता की कुर्बानी की सच्ची कहानी बच्चों के कोमल हृदयों पर एक अमिट छाप छोड़ देगी। एक आदिवासी परिवार से आई लड़की सूर्यमणि का जंगल और पेड़ पौधों से लगाव, जंगल पर अपने हक की लड़ाई, जंगल बचाव अभियान शुरू करने में सक्रिय भूमिका आदि पर बातचीत करने पर हम समाज में महिला सशक्तीकरण की शुरुआत से ही नींव मज़बूत कर सकेंगे। उड़ीसा की लड़की सिकिया द्वारा खनन एवं फैक्टरियाँ लगाने के लिए जंगल काटने पर मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र बच्चों/बच्चियों को अपने हक के लिए सचेत एवं उन्हें पाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से भी परिचित करेगा। इनके बारे में बातचीत करने से बच्चे अपने आस-पास ऐसी होने वाली घटनाओं पर भी धीरे-धीरे ध्यान देंगे तथा उनके लिए बने नियम/कानूनों के बारे में पता करने के लिए उत्सुक होंगे।

इसके अलावा आप पाएँगे कि पाठ में दिए गए चित्रों में लड़कियों /महिलाओं का सकारात्मक चित्रण है। इनमें पढ़ती, पढ़ाती, प्रयोग करती हुई, स्कूल जाती हुई, साइकिल-स्कूटर चलाने वाली, सोचने-समझने की क्षमता रखने वाली, निर्भय, निडर, बहादुर महिलाओं का चित्रण है जो लैंगिक असमानताओं के बारे में बच्चों को संवेदनशील करने में सक्षम हैं और ऐसी ही पाठ्यसामग्री को पूरी तरह प्रस्तुत कर रही हैं। ज़रूरत है तो केवल एक टीचर की जो बच्चों तक इन्हें सही मायनों में कक्षा में ले जा सके। ज़रूरी है कि शिक्षिका की भूमिका को भी समझा जाए जिससे हम लैंगिक असमानताओं को पूरी तरह स्कूली शिक्षा द्वारा संबोधित कर सकेंगे।

अध्यापक की भूमिका

ज़ाहिर है कि किताबों में तो लिंग असमानता को दूर करने के ऐसे कई अवसर हैं परंतु किसी अध्यापिका की इसमें क्या भूमिका हो ऐसा जानना भी अति आवश्यक है। एक अध्यापिका ही कक्षा में सीखने-सिखाने को सही दिशा देती है। उन्हें विशेष ध्यान देना होगा कि इन मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ कक्षा में किस प्रकार संबोधित करे ताकि वह किसी भी वर्ग के प्रति किसी भी तरह के पक्षपात या भेदभाव को जगह न दे।

सर्वप्रथम वह खुद संवेदनशील हों और कक्षा में उन्हें औपचारिक रूप से बिना पूर्वाग्रह के सहज रूप से चर्चा करते हुए बच्चों को बिना किसी डर के अपनी राय देने के लिए प्रोत्साहित करें। कहीं भी अपनी राय बच्चों पर न थोपते हुए विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने में कक्षा में हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करे। किसी की राय को सही या गलत न बताकर बल्कि बच्चों द्वारा ही चर्चा के माध्यम से अपेक्षित अधिगम की ओर बच्चों को प्रेरित करे।

संदर्भ

1. *आस-पास, पर्यायवरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें*, कक्षा एक से पाँच, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली, 2006-07
2. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005*, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली, 2005
3. *जेंडर इश्यूज़ इन एजुकेशन*, नेशनल फोकस ग्रुप पेपर 3.2, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली, 2005
4. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*, मानव संसाधन मंत्रालय, नयी दिल्ली, 1986
5. *टूवार्डस इक्वैलिटी, कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ़ विमन इन इंडिया* पर एक रिपोर्ट, सी.एस.डब्लू. आई, 1975